

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 1979/अश्विन 17, 1901
No. 409] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 1979/ASVINA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके .

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1979

का. जा. 574(अ).—दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के
नियम 3 के साथ पठित सबक परिवहन निगम अधिनियम, 1950(1950 का 64)
की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय
सरकार इस अधिसूचना को द्वारा श्री बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव, नौवहन
और परिवहन मंत्रालय को डा. पी. जी. पाटणकर के स्थान पर 6 अक्टूबर,
1979 के अपराह्न से दिल्ली परिवहन निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है
और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना

संख्या का. जा. 238(ई), दिनांक 1 मई, 1979 में पुनः विम्वरणीकृत संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

- (1) पैरा 1 में मद्य संख्या (1) में की गई प्रविष्टि के स्थान पर शब्द "श्री बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय" रखे जाएं,
- (2) पैरा 1 में मद्य संख्या (3) में की गई प्रविष्टि के स्थान पर शब्द "श्री दलीप कुमार, अपर महाप्रबन्धक जो महाप्रबन्धक, दिल्ली परिवहन का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं" रखे जाएं,
- (3) पैरा 2 में, शब्द और अक्षर "डा. पी. जी. पाटणकर" के स्थान पर शब्द और अक्षर "श्री बी. बी. महाजन" रखे जाएं ।

[फा. सं. टी. जी. डी. (9)/79]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 1979

S.O. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with rule 3 of the Central Government hereby appoints Shri B. B. Mahajan, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport, as Chairman and Shri Dalip Kumar, Additional General Manager, holding the additional charge of General Manager, DTC, as a member of the Delhi Transport Corporation with effect from the afternoon of 6th October, 1979 and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 338(E), dated the 1st May, 1976, namely :—

In the said notification—

- (i) in paragraph 1, for the entry against item number (i), the words "Shri B. B. Mahajan, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport" shall be substituted.
- (ii) in paragraph 1, for the entry against item number (iii), the words "Shri Dalip Kumar, Additional General Manager, holding the additional charge of General Manager, Delhi Transport Corporation", shall be substituted.
- (iii) in paragraph 2 for the words and letters "Dr. P. G. Patankar", the words and letters "Shri B. B. Mahajan" shall be substituted.

[TGD(9)/79]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.